

# भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला।

अभिलेख सं०-टी० ए० मिस वाद सं०- 171B/2018-19

केस का प्रकार-(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

शंकर महतो .....आवेदक/विक्रेता

**बनाम**

जयंती कुमारी महतो.....क्रेता

दिनांक

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

अभ्युक्ति

10.01.2020

विक्रेता :-

शंकर महतो पिता स्व० दुखू महतो, ग्राम-यशपुर, थाना-गम्हरिया, जिला-सरायकेला-खरसावाँ, (झारखण्ड) जाति-कुर्मी।

क्रेता :-

जयंती कुमारी महतो पति श्री नवीन महतो ग्राम-रामजीवनपुर थाना-गम्हरिया, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड),जाति-कुर्मी।

विक्रेता द्वारा दिनांक 15.10.2018 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता जयंती कुमारी महतो पति श्री नवीन महतो ग्राम-रामजीवनपुर, थाना-गम्हरिया, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) को निम्नलिखित भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति माँगी गयी है :-

**:: भूमि का विवरण ::**

मौजा	थाना / थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
यशपुर	गम्हरिया / 141	105	893	17.76डी०
			870	11.31डी०
			कुल-	29.07डी०

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, गम्हरिया से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, गम्हरिया का पत्रांक 518 दिनांक 18.04.2019 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है(अभिलेख के साथ संलग्न)। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-


1. प्रस्तावित भूमि बिक्रेता के स्वयं के नाम से दर्ज है।
2. प्रस्तावित भूमि का लगान वर्ष 2019-20 तक अद्यतन है।
3. बिक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है।
4. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् बिक्रेता के पास रकवा-5.72.93 एकड भूमि शेष बचेगा।
5. बिक्रेता पारिवारिक खर्च हेतु भूमि बिक्री करना चाहता है।
6. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक जिला एवं जाति-'कुर्मी' है, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।


उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, गम्हरिया ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत आवेदक को प्रस्तावित भूमि बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा किया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक.....15.10.2018को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, गम्हरिया के अनुशंसा के आलोक में बिक्रेता शंकर महतो पिता स्व0 दुखू महतो, ग्राम-यशपुर, थाना-गम्हरिया, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) क्रेता जयंती कुमारी महतो पति श्री नवीन महतो ग्राम-रामजीवनपुर थाना-गम्हरिया, जिला-सरायकेला-खरसावाँ(झारखण्ड) को उभय पक्ष के निजी दायित्व पर ऊपर वर्णित रकवा- 29.07डी0 भूमि बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

लेखापित,

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
सरायकेला।

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
सरायकेला।

